

20/9/19
पत्रावली पेश हुई। वकील
पक्षकारान उप. P.O. साहव
दौरे/अवकाश पर पधारे है।
अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक... 8/11/19... को पेश हो

8-11-19 पत्रावली पेश हुई। वकील पार्थी उपस्थित।
वकील पार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी एवं
निर्णय पारित किया गया। निर्णय अलग
से लिखवाया जाकर सुनाया गया व
शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर
से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

